

Uttaranchal Power Corporation Ltd.
 Govt. of Uttaranchal Undertaking)
 Urja Bhawan, Kanwali,
 Dehradun - 248001
 Phone 01-135-2763672-75 FAX: 91-135-2769771



उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०
 (उत्तरांचल सरकार का उपक्रम)
 ऊर्जा भवन, कांवली
 देहरादून - 248001
 दूरभाष : 2763672-75, फैक्स 91-135-2769771

संख्या 1422 - नि०(मा०सं०)/उपाकालि/27का०अनु०ए०/ए-4

दिनांक 07अप्रैल, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- समूह 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अर्जित अवकाश नकदीकरण की धनराशि का पचास प्रतिशत के स्थान पर शतप्रतिशत नकद भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।

तत्कालीन परिषदीय सेवकों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा दिये जाने विषयक पूर्ववर्ती परिषद के ज्ञापांक 104-जी/राविप-का780ए/1973, दिनांक 09-01-1985 एवं अनुवर्ती संगत आदेशों में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सेवारत सेवकों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य की गई थी ।

कालान्तर में समूह "ग" एवं "घ" श्रेणी के समस्त कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण (15/30 दिन यथाप्रयोज्य) की धनराशि का पचास प्रतिशत नकद भुगतान तथा शेष पचास प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किये जाने का प्राविधान पूर्ववर्ती परिषद के ज्ञापांक 1590-काविनी/राविप -29/99-15काविनी/87, दिनांक 05-10-1999 के माध्यम से किया गया था ।

दिनांक 14-01-2000 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में कर्मचारी भविष्य निधि योजना एवं तत्सम्बन्धी प्राविधान प्रवृत्त किये जाने तथा सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट को अंशदान के भुगतान किये जाने के फलस्वरूप अर्जित अवकाश नकदीकरण की पचास प्रतिशत धनराशि को भविष्य निधि में जमा किये जाने की प्रक्रिया में व्यवहृत कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि कारपोरेशन के सेवारत समूह "ग" एवं "घ" श्रेणी के समस्त कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण (15/30 दिन यथाप्रयोज्य) की धनराशि का शतप्रतिशत नकद भुगतान अनुमन्य किया जाएगा ।

उपर्युक्त आदेश दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रवृत्त होंगे ।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 1422 - नि०(मा०सं०)/27का०अनु०ए०/ए-4, तददिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि० ।
- 3- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक/निदेशक(मा०सं०)/निदेशक(वित्त), उ०पा०का०लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- 4- अधिशासी निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- 5- कम्पनी सचिव, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- 6- मुख्य महाप्रबन्धक(ताणिज्य) उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- 6- समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०पा०का०लि०/पा०ट्रा०का०आ०उ०लि० ।
- 7- समस्त उप महाप्रबन्धक(वित्त)/उप महाप्रबन्धक (आन्तरिक सम्प्रेक्षा), उ०पा०का०लि० ।
- 8- समस्त अनुभाग एवं अनुभाग अधिकारी, उ०पा०का०लि०/पा०ट्रा०का०आ०उ०लि० मुख्यालय, देहरादून ।
- 9- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०पा०का०लि०/पा०ट्रा०का०आ०उ०लि० ।
- 10- कार्यालय ज्ञापन पंजिका/कट फाइल/मास्टर कट फाइल ।

DHIMAN

(C)

(Signature)

(Signature)

[डा० पी०सी० जोशी]
 उप मुख्य कार्मिक अधिकारी

उपरोक्त प्रोक्त एकादश दिनांक परिसर
अर्थात् 3.8.14-एन. गा. 1, 1985।

1590-टापिली/राप्ति-29/99-1501पिली/87 दिनांक: 5 अक्टूबर, 1999

विषय: एम्स, "0" एवं "31" श्रेणी के परिषदीय अधिकारियों
को सेवा अवधि में अनुमति प्रदाता मजदूरों की
पुष्टिदा समाप्त करने तथा एम्स "0" एवं "31" श्रेणी
के परिषदीय अधिकारियों को सेवा अवधि में अनुमति
प्रदाता मजदूरों की स्तरीयता का 50 प्रतिशत
महत्व अनुमति विषय।

तापिली गांव

परिषदीय सेवाओं को प्रदाता मजदूरों की पुष्टिदा विषय
तापिली गांव संख्या 104-बी/राप्ति-01-800/1973, दिनांक 9 जनवरी, 1985
तथा इस विषय में समय-समय पर जारी परिषदादेशों में विहित बातें एवं प्रतिबंधों
के अन्तर्गत परिसर के निवासी सेवाओं को अर्जित प्रदाता के मजदूरों की पुष्टिदा
अनुमति की गई थी।

2. इसी क्रम में तापिली गांव संख्या 496-टापिली/राप्ति-29/99-1501पिली/87,
दिनांक 7 अक्टूबर, 1999 द्वारा प्रथम प्रकरण में परिषदीय सेवाओं को प्रदाता
मजदूरों का प्रस्ताव अर्जित करने एवं पूर्ण स्तरीयता अर्जित करने के अनिवार्य विधि
बारे में बात चले जाने के आदेश विहित किए गये थे।

3. उपरोक्त परिषदादेशों के अन्तर्गत में एतदनुसार एम्स विधायकप्राप्त
निम्नलिखित आदेश दिए जाते हैं:-

1. परिषदीय सेवाओं एम्स "0" तथा "31" श्रेणी के निवास अधिकारियों
को सेवा अवधि में अनुमति प्रदाता मजदूरों की पुष्टिदा समाप्त
की जाती है।

2. परिषदीय सेवाओं एम्स "0" एवं "31" श्रेणी के निवास अधिकारियों
को सेवा अवधि में अनुमति प्रदाता मजदूरों की पुष्टिदा समाप्त 15/30 दिनों के अन्तर्गत
स्तरीयता का 50 प्रतिशत अर्जित करने के अनिवार्य विधि
बारे में बात चले जाने की आवश्यकता है।

यदि कोई परिषदीय सेवा अधिकारी विधि का पालन नहीं करता है
तो उसे उक्त स्तरीयता अर्जित करने के लिए निर्दिष्ट है।

पृष्ठ: 2

डा. क. म. म. म.

४. उक्त संशोधित व्यवस्था इस परिमृदापेक्षा के विनियम की तिथि से प्रभावी होगी ।

१. शुभक युक्त पाण्डे !
तपिय

ମାମୁଲିଆ ପଦବୀର ଏବଂ ଆୟର ଚାର୍ଜବତୀ ହେଉ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଠାଉ ମୁଦ୍ରା:-

- [illegible]

ATNY 4.

। ईश्वर लाल
सियल पाथिव

दोनों प्रकार के अवकाशों के साथ-साथ । बीच में पड़ने वाले अवकाशों और/अथवा रविवारों को नियमित अवकाश से पहले/बाद में जैसी भी स्थिति हो जोड़ा जा सकेगा ।

(ग) ये आदेश तत्काल प्रभावी माने जायेंगे ।

सार्वजनिक उद्योगों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा अनुमत्त ।

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग

शासनादेश संख्या : 2348/ब्यूरो-105/75 दिनांक : सखनऊ, जुलाई, 30 1976
महोदय,

अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या 1523/ब्यूरो/105/75, दिनांक अगस्त 13, 1975 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश है, कि शासन के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था, कि उन राजकीय कर्मचारियों को जो इस समय सार्वजनिक उद्योगों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, अवकाश के नकदीकरण की सुविधा उपलब्ध करायी जाये अथवा नहीं । इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है उन राजकीय कर्मचारियों को जो सार्वजनिक उद्योगों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, और जिन्हें नियमानुसार अपने पैत्रिक विभाग में अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमत्त होती यदि वे प्रतिनियुक्ति पर न भेजे गये होते, सार्वजनिक उद्योगों की सेवा अवधि में भी अवकाश के नकदीकरण की सुविधा प्रदान की जाये । कृपया तदनुसार कार्यवाही करें ।

शासनादेश संख्या : 2845/ब्यूरो 44-1-105/75 दिनांक: जुलाई 24, 1979

यह सुविधा उन्हीं शर्तों पर प्रतिबन्धों के अधीन उपलब्ध होगी जो सरकारी कर्मचारियों को उनके पैत्रिक विभाग में मिलती यदि वे सार्वजनिक उद्योगों/निगमों में प्रतिनियुक्ति पर न गये होते ।

भवदीय,

ह० मक्ति सेन भुक्जी
उप सचिव

(परिवदाज्ञा संख्या 2807 जी/रा० वि० प०-एक/80ए/73, दिनांक : अक्टूबर 16, 1979, द्वारा अंगीकृत)

परिवदीय सेवकों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा दिया जाता

संख्या: 104-जी/रा० वि० प०-का-एक-80ए/1973 दिनांक: 9, जनवरी 1985

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि अवकाश नकदीकरण

सम्बन्धी अब तक निर्गत समस्त परिपदादेशों को निरस्त करते हुए विषय पर सम्पक् विचारोपरान्त परिपद ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अब से निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगी:—

क्रि.सं. 170
14.8.85
के अनुसार
अनुमन्य
की सुविधा

पु. 607 (क) दिनांक 1 अप्रैल, 1979 से प्रवृत्त पुनरीक्षित वेतनमानों में रुपये 1400/- प्रतिमास अथवा उससे कम वेतन पाने वाले परिषदीय सेवकों को तीस दिन तथा रुपये 1400/- प्रतिमास से अधिक वेतन पाने वाले परिषदीय सेवकों को पन्द्रह दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा, अवकाश के वास्तविक उपभोग के बिना, अवकाश के अभ्यर्पण के दिनांक को सम्बन्धित परिषदीय सेवक के अवकाश लेख में कम से कम साठ दिन का अर्जित अवकाश अनिवार्यतः घोष रहने पर अनुमन्य होगी।

पु. 607
14.8.85
के अनुसार
अनुमन्य
की सुविधा

पु. 607 (ख) अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिये सम्बन्धित सेवक को अवकाश वेतन, प्रैक्टिस-बन्दी भत्ता/वेतन, मेंहंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता, विशेष-भत्ता तथा नगर प्रतिकर/परियोजना स्थल प्रतिकर भत्ता उसी दर पर देय होगा जो उसे अभ्यर्पण के दिनांक से यथा प्रयोज्य 15 अथवा 30 दिन का अर्जित अवकाश वस्तुतः उपभोग करने की स्थिति में अनुमन्य होता किन्तु उसे कोई मकान किराया भत्ता तथा पर्वतीय विकास भत्ता देय न होगा। यह धनराशि सम्पूर्ण रूप से देय होगी और उसमें से भविष्य-निधि, अग्रिम, मकान किराये, सहकारी समितियों के देयों आदि के सम्बन्ध में कोई भी कटौती नहीं की जायेगी।

(ग) अवकाश नकदीकरण की सुविधा की पात्रता के लिये मात्र मूल नियम 9 (21) (एक) में परिभाषित मूल वेतन को ही ध्यान में रखा जायेगा तथा अन्य वेतनों को उपेक्षित कर दिया जायेगा।

(घ) अभ्यर्पित अवकाश तथा उसी के साथ/क्रम में वास्तविक उपभोग हेतु लिया जाने वाला उपाजित अवकाश/ओसत वेतन पर अवकाश, जैसी भी स्थिति हो, का योग किसी एक समय में परिषदीय सेवक को देय कुल अर्जित अवकाश अथवा एक सौ बीस दिन, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगा। जब भी कोई सेवक अवकाश नकदीकरण अथवा उसके साथ/क्रम में उपाजित अवकाश/ओसत वेतन पर अवकाश लेना चाहेगा तो उसे उक्त आशय हेतु निर्धारित प्रपत्र में ही आवेदन करना होगा।

*(ङ) ओसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी ही नकदीकरण हेतु अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण को स्वीकृत करने के लिये सज्ज होंगे। समस्त सेवकों द्वारा नकदीकरण विषयक अपने

* परिपदाज्ञा संख्या 381-जी/रा० वि० प०-का-एक-80ए/1973, दिनांक 13 फरवरी 1985 द्वारा संशोधित

आवेदन-पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि किस दिनांक को अवकाश अर्जित किया जाना अपेक्षित है और तदनुसार उसी दिनांक को अवकाश अर्जित माना जायेगा जिसका स्पष्ट उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृति आदेश में किया जायेगा। परिषदीय सेवकों के अवकाश लेखे में इस आशय की अभिव्यक्ति अंकित कर दी जायेगी कि यह कमी सेवकों द्वारा अवकाश अर्जित करने के फलस्वरूप की गई।

(च) अवकाश के अर्जित करने की सुविधा एक कैलेंडर वर्ष में केवल एक ही बार अनुमत्त होगी, परन्तु जिन मामलों में पुराने आदेशों के अन्तर्गत चालू कैलेंडर वर्ष में नकदीकरण की सुविधा का उपभोग कर लिया गया हो (भले ही उपभोग वित्तीय वर्ष के दृष्टिकोण से क्यों न किया गया हो) ऐसे मामलों में उन आदेशों के अन्तर्गत चालू कैलेंडर वर्ष में नकदीकरण की सुविधा पुनः अनुमत्त नहीं होगी।

(छ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टि अवकाश लेखे में कर दी गई है, जहाँ तक अराजपत्रित सेवकों का सम्बन्ध है, अर्जित अवकाश से सम्बन्धित वेतन के आहरण के समय उनकी सेवा पुस्तिकाओं तथा उनके अवकाश लेखों में अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण अनिवार्यतः अंकित कर दिया जायेगा। अर्जित अवकाश से सम्बन्धित अवकाश वेतन आहरित करत समय वेतन-वितरण अधिकारी द्वारा उस विल में जिसमें अवकाश वेतन-आहरित किया जाता है, इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि उक्त प्रकार से आवश्यक प्रविष्टियाँ सेवा पुस्तिकाओं तथा अवकाश लेखों में अंकित कर दी गई हैं।

(ज) अराजपत्रित सेवकों को अर्जित अवकाश की अवधि के लिये अवकाश-वेतन तथा भत्तों का भुगतान अवकाश अर्जित करने के दिनांक के तुरन्त बाद कर दिया जायेगा। जहाँ तक राजपत्रित अधिकारियों का सम्बन्ध है, वे इस सम्बन्ध में भी वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के अनुच्छेद 249 (वाई) के अधीन अधिम उसी प्रकार आहरित कर सकेंगे जैसा कि वे एक सौ बीस दिन तक के अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में कर सकते हैं।

(झ) अर्जित अवकाश के नकदीकरण की यह सुविधा परिषद में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सेवकों को भी विद्यमान शर्तों के अधीन अनुमत्त होगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों एवं दशाओं में अवकाश-शर्तों के विषय के लिये कोई अन्यथा/विपरीत व्यवस्था निर्धारित न हो।

(ञ) यह सुविधा उन समस्त परिषदीय सेवकों को भी अनुमत्त होगी जो परिषदेतर भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्यत्र बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, प्रतिबन्ध यह है कि उनकी प्रतिनियुक्ति अथवा बाह्यसेवा

की घातों एवं दशाओं में अवकाश आदि के सम्बन्ध में इससे विपरीत अथवा अन्यथा प्राविधान विद्यमान न हो।

(ट) अवकाश अभ्यर्पण की सुविधा ऐसे मामलों में अनुमन्य नहीं होगी जबकि सम्बन्धित परिषदीय सेवकों के सेवा निवृत्त होने में एक माह/तीस दिन से कम अवधि शेष रह गई हो किन्तु परिषदीय सेवक की मृत्यु की दशा में परिषदादेशांक 2381-जी/रा० वि० प०-एक-230ए/1966, दिनांक 24 दिसम्बर, 1979 सपडित आदेश सँख्या 3683-जी/रा० वि० प०-एक-230ए/1966, दिनांक 1/2 फरवरी, 1984 में वर्णित व्यवस्था अनुसार अर्जित अवकाश के बदले में घनराशि का नकद भुगतान अनुमन्य होगा।

(ड) अवकाश नकदीकरण की सुविधा वित्तीय नियम संप्रह खण्ड-2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 86 तथा 86ए के अधीन अस्वीकृत अवकाश के सम्बन्ध में अनुमन्य नहीं होगी।

(ड) यदि कोई सेवक किसी अवधि का अवकाश नकदीकरण आवेदित करता है जिसमें अवकाश की अवधि का विस्तार दो कैलेंडर वर्षों में हो तो ऐसे स्थिति में प्रदत्त अवकाश नकदीकरण की उसी कैलेंडर वर्ष में माना जायेगा जिस कैलेंडर वर्ष में अवकाशावधि की प्रारम्भिक तिथि पड़ेगी।

(इ) ऐसे परिषदीय सेवकों के सम्बन्ध में, जिनके वेतनमान अभी तक अपुनरीक्षित हैं अथवा जिन्होंने पुराने वेतनमान ही चुनने का विकल्प दे रखा है, अवकाश नकदीकरण की अनुमन्यता हेतु उनके मूल वेतन में दिनांक 1 अप्रैल, 1979 की अनुमन्य तत्कालीन महँगाई भत्ता/अतिरिक्त महँगाई भत्ता जोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार से आगणित वेतन के आधार पर ही उन्हें यथाप्रयोज्य 15 अथवा 30 दिनों के अवकाश के नकदीकरण की सुविधा स्वीकृत की जायेगी।

(ण) समस्त परिषदीय सेवकों को यह सुविधा उपलब्ध होगी कि यदि वे चाहें तो इस प्रकार से अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में प्राप्त घनराशि को अपने भविष्यनिधि खाते में जमा कर दें परन्तु जहाँ सम्बन्धित भविष्य निधि अंशदायी प्रकृति की होगी वहाँ इस जमा घनराशि पर किसी प्रकार के परिषदीय अंशदान का कोई हक नहीं होगा।

2. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथापि जिन मामलों में इन आदेशों के निर्गतन की तिथि तक अवकाश स्वीकृति के आदेश पुरानी अवकाश नकदीकरण व्यवस्था के आधार पर निर्गत किये जा चुके हैं, उनको किसी दशा में पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा और जिन सेवकों के आवेदन पुरानी व्यवस्थानुसार स्वीकृति हेतु पहले से विचाराधीन है, उनको पुराने आदेशों के अनुसार भी निस्तारित किया जा सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे

Establishment Rules and Orders

605

सेवकों को कैलेंडर वर्ष 1985 में दोबारा अवकाश नकदीकरण की सुविधा अनुमत्त नहीं होगी। अवकाश नकदीकरण के आवेदनार्थ तवीन संशोधित प्रारूप संलग्न है।

संलग्नक

अवकाश/अवकाश के नकदीकरण हेतु आवेदन-पत्र

टिप्पणी : (1) क्रमांक 1 से 10 पर्यंत प्रविष्टियां समस्त आवेदकों द्वारा भरी जानी हैं चाहे वे किसी श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी हों।

(2) क्रमांक 10 केवल अवकाश के नकदीकरण के मामले पर ही लागू होगा।

1—आवेदक का पूरा नाम :

2—लागू अवकाश-नियम :

3—पदनाम :

4—विभाग/कार्यालय :

5—वेतन यथापारिभाषित मूलनियम-9(21) (एक) :

6—अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक [क] दिनांक से दिनांक तक अपेक्षित है तथा उसकी प्रकृति : [ख] अवकाश की प्रकृति :

7—अवकाश मांगे जाने का कारण :

8—विगत अवसर पर किस दिनांक से किस दिनांक तक अवकाश लिया गया तथा उसकी प्रकृति क्या थी ?

9- अवकाश की अवधि में पता :

10- (क) क्या 30 अथवा 15 दिन के औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश का नकदीकरण अपेक्षित है ?

(2) यदि हाँ, तो किस दिनांक को ?

(ख) क्या चालू कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसम्बर) में इससे पूर्व अवकाश के नकदीकरण की कोई सुविधा प्राप्त हुई है ?

दिनांक : 198

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

11- अप्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति/संस्तुति

दिनांक : 198

हस्ताक्षर एवं पदनाम

12- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 में 4, के सहायक नियम-81 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) (जो अप्रयोज्य हो उसे काट दें) :-

(क) प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय नियम, संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम/सहायक नियम के अन्वीन दिनांक से दिनांक तक आवेदित अर्जित अवकाश/औसत वेतन पर अवकाश देय है।

(ख) प्रमाणित किया जाता है कि मद-10 पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा देय तथा अनुमन्य है।

दिनांक : 198 सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

13- अवकाश तथा अवकाश का नकदीकरण स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के आदेश

दिनांक : 198 हस्ताक्षर तथा पदनाम

परिषदीय सेवकों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा दिया जाना।

संख्या : 381-जी/रा०वि०प०-का-1-80ए/73 दिनांक फरवरी 13, 1985

उपर्युक्त विषयक परिषदीय कार्यालय ज्ञापक 104-जी/रा०वि०प०-का-एक-80ए/1973 दिनांक 9 जनवरी, 1985 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर (ड) का प्रथम वाक्य संशोधित रूप में निम्नवत पड़ा जाय:—

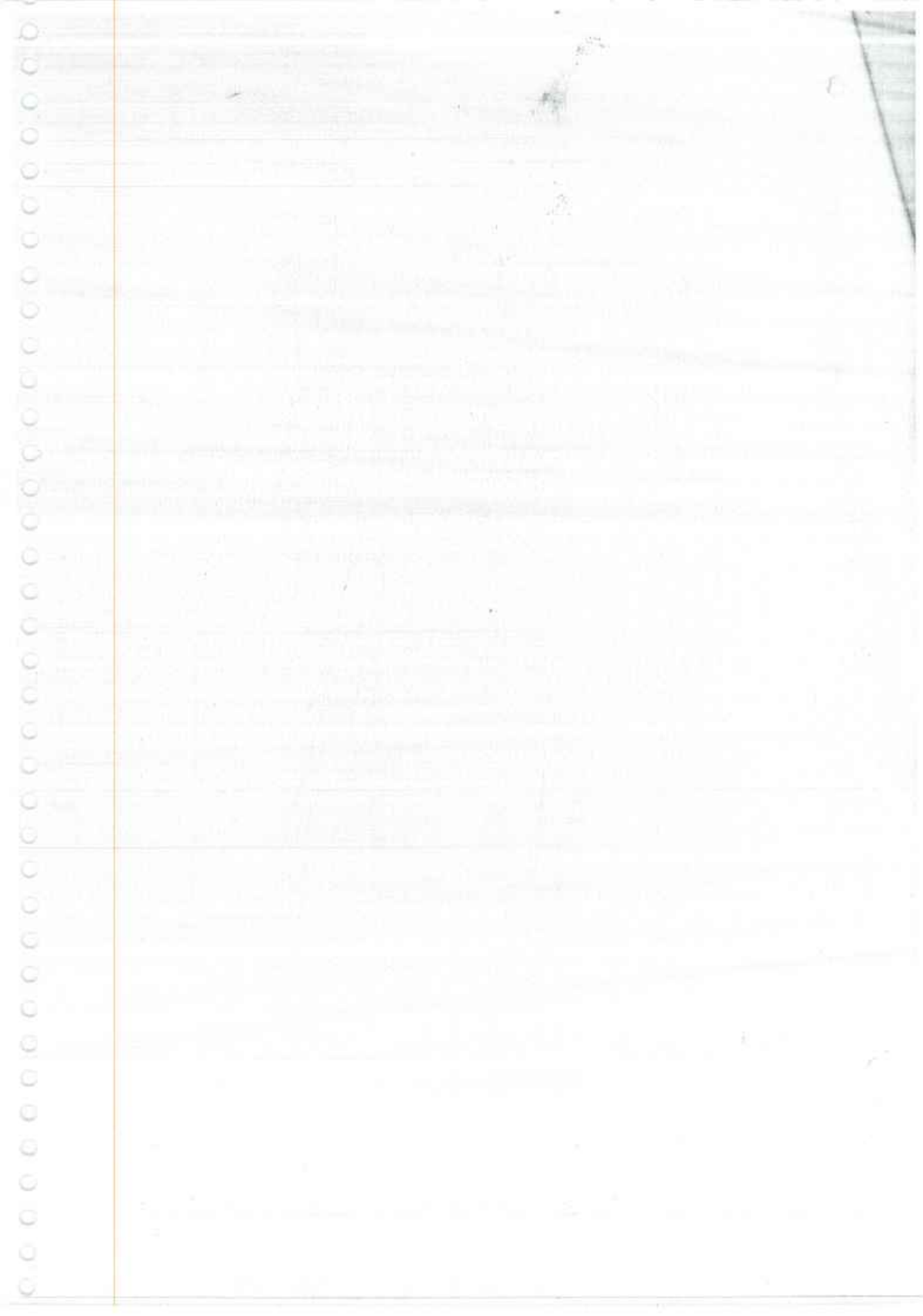
“प्रोसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी ही नकदीकरण हेतु अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण को स्वीकृत करने हेतु सक्षम होंगे।”

2- मुझे यह भी कहना है कि कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं अधिकारिकों को मंती अवगत करा दें।

परिषदीय सेवकों को अवकाश नकदीकरण के साथ पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य

संख्या : 2031/जी/रा०वि०प०-एक-80ए/1973 दिनांक मई 17, 1985

उपर्युक्त विषय परिषदीय कार्यालय ज्ञापक 104-जी/रा०वि०प०-का-एक-80ए/1973, दिनांक 9 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अवोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त ज्ञाप के प्रस्तर—1 (ख) का आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन की अनुरूपता में परिषद ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि यथाप्रयोज्य परिषदीय सेवकों को पर्वतीय विकास भत्ता दिनांक 1 मई, 1985 एवं उनके उपरान्त स्वीकृत होने वाले अर्जित अवकाश के नकदीकरण के मामलों में देय होगा परन्तु इसके पूर्व के निस्तारित मामले पुनरोद्घाटित (रीओपेन) नहीं किये जायेंगे।



द्वारा अवकाश स्वीकृति आदेश में किया जायेगा। परिपटीय सेवकों के अवकाश लेवे में से अभ्यर्पण के दिनांक को प्रत्यक्ष प्रयोग अवधि का अंतिम अवकाश कम कर दिया जायेगा और अवकाश लेवे में इस आशय की अभ्युक्ति अंकित कर दी जायेगी कि यह कमी सेवक द्वारा अवकाश अभ्यर्पण के फलस्वरूप की गई है।

[घ] अवकाश के अभ्यर्पण की सुविधा एक कैलेंडर वर्ष में केवल एक ही बार अनुमत्त होगी, परन्तु जिन मामलों में पुराने आदेशों के अन्तर्गत चालू कैलेंडर वर्ष में नकदीकरण की सुविधा का उपयोग कर लिया गया हो (यदि ही उपयोग वित्तीय वर्ष के दृष्टिकोण से नहीं किया गया हो) ऐसे मामलों में उन आदेशों के अन्तर्गत चालू कैलेंडर वर्ष में नकदीकरण की सुविधा पुनः अनुमत्त नहीं होगी।

[छ] यह सुनिश्चित करने के लिये कि अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टि अवकाश लेवे में करा दी गई है जहाँ तक अराजपन्नित सेवकों का सम्बन्ध है, अभ्यर्पित अवकाश से सम्बन्धित वेतन के आहरण के सम्बन्धित सेवा-पुस्तिकाओं तथा उनके अवकाश लेखों में अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण अतिरिक्त अंकित कर दिया जायेगा। अभ्यर्पित अवकाश से सम्बन्धित अवकाश वेतन आहरित करते समय वेतन वितरण अधिकारी द्वारा उस विल में जिसमें अवकाश वेतन आहरित किया जाता है, इस आशय का एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि अवकाश प्रकार से आवश्यक प्रविष्टियाँ सेवा-पुस्तिकाओं तथा अवकाश लेखों में अंकित कर दी गई हैं।

[ज] अराजपन्नित सेवकों को अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिये अवकाश-वेतन तथा भत्तों का भुगतान अवकाश अभ्यर्पण के दिनांक के तुरन्त बाद कर दिया जायेगा। जहाँ तक राजपन्नित अधिकारियों का सम्बन्ध है, वे इस सम्बन्ध में भी वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के अनुच्छेद 249 [वाई] के अधीन बशिम उसी प्रकार आहरित कर सकेंगे जैसा कि वे एक सौ बीस दिन तक के अंतिम अवकाश के सम्बन्ध में कर सकते हैं।

[झ] अंतिम अवकाश के नकदीकरण की यह सुविधा परिपटीय प्रतिनिधित्व पर कार्यरत सेवकों को भी विद्यमान शर्तों के अधीन अनुमत्त होगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उनकी प्रतिनिधित्व की शर्तों एवं दशाओं में अवकाशादि के विषय के लिये कोई अस्पष्ट/विपरीत व्यवस्था निर्धारित न हो।

[ञ] यह सुविधा उक्त समस्त परिपटीय सेवकों को भी अनुमत्त होगी जो परिपटीय भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य वास्तविक सेवा/प्रतिनिधित्व पर कार्यरत हैं, प्रतिबन्ध यह है कि उनकी प्रतिनिधित्व सेवा वास्तविक सेवा की शर्तों एवं दशाओं में अवकाश आदि के सम्बन्ध में इससे विपरीत अथवा अस्पष्ट प्राविधान विद्यमान न हो।

[ट] अवकाश अभ्यर्पण की सुविधा ऐसे मामलों में अनुमत्त नहीं होगी जबकि सम्बन्धित परिपटीय सेवकों के सेवा निवृत्त होने से एक माह/तीस दिन से कम अवधि शेष रह गई हो किन्तु परिपटीय सेवकों की शर्तों में परिपदादेशों 2381-जी/रा० वि० प०-एक-230ए/1966, दिनांक 24 दिसम्बर, 1979 संपठित आदेश संख्या 3683-जी/रा० वि० प०-एक-230ए/1966, दिनांक 1/2 फरवरी, 1934 में वर्णित व्यवस्था अनुसार अंतिम अवकाश के बदले में घनराशि का नकद भुगतान अनुमत्त होगा।

[ठ] अवकाश नकदीकरण की सुविधा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 85 तथा 86ए के अधीन अस्वीकृत अवकाश के सम्बन्ध में अनुमत्त नहीं होगी।

[इ] यदि कोई सेवक किसी ऐसी अवधि का अवकाश नकदीकरण आवेदित करता है जिसमें अवकाश की अवधि का विस्तार दो कैलेंडर वर्षों में हो तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावित अवकाश नकदीकरण को जारी कैलेंडर वर्ष में माना जाएगा जिस कैलेंडर वर्ष में अवकाशावधि की प्रारम्भिक तिथि पड़ेगी।

[इ] ऐसे परिषदीय सेवकों के अवकाशों में, जिनके वेतनमान अभी तक अनुसूचित हैं, मपवा बिन्दुओं पुराने वेतनमान से घटने का विकल्प दे रखा है, अवकाश नकदीकरण की अनुमति है। उनके मूल वेतन में दिनांक 1 अप्रैल, 1979 को अनुमानित दरकास्तीन में हवाई भरता/अतिरिक्त में हवाई भरता जोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार से अनुसूचित वेतन के आधार पर ही उन्हें पदावसोय, 15 अथवा 30 दिनों के अवकाश के नकदीकरण की सुविधा स्वीकृत की जायेगी।

[ग] समस्त परिषदीय सेवकों को यह सुविधा उपलब्ध होगी कि यदि वे चाहें तो इस प्रकार से सम्बन्धित अवकाश के सम्बन्ध में प्राप्त धनराशि को अपने भविष्यनिधि खाते में जमा कर दें परन्तु जहाँ सम्बन्धित भविष्य निधि अक्षदानी प्रकृति की होगी वहाँ इस जमा धनराशि पर किसी प्रकार के परिषदीय अक्षदान का कोई हक नहीं होगा।

2- ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। तथामि जिन मामलों में इन आदेशों के निर्गमन की तिथि तक अवकाश स्वीकृति के आदेश पुरानी अवकाश नकदीकरण व्यवस्था के आधार पर निर्गत किये जा चुके हैं, उक्तकी किसी भी दशा में पुनरीक्षणीय नहीं किया जायेगा और जिन सेवकों के आवेदन पुरानी व्यवस्थानुसार स्वीकृति हेतु पहले से विचारार्थ है, उक्तकी पुराने आदेशों के अनुसार भी निस्तारित किया जा सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे सेवकों को कैलेंडर वर्ष 1985 में दोबारा अवकाश नकदीकरण की सुविधा अनुमान नहीं होगी। अवकाश नकदीकरण के आवेदनार्थ नवीन संशोधित प्रारूप संलग्न है।

परिपद की आज्ञा से,

संलग्नक: प्रयोपदि

संलग्नक

परिपद की आज्ञा से,

उपदेश महापुर मापूर

सचिव।

संख्या: 104-जी [1]/रा=वि०प०-का-एक-80ए/1973

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त मुख्य अभियन्ता/महा प्रबन्धक, उ० प्र० राज्य विद्युत परिपद।
- 2- समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता/मुख्य परियोजना प्रबन्धक/अपर मुख्य अभियन्ता/उप महा प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिपद।
- 3- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आपोग/बोच समिति, उ० प्र० राज्य विद्युत परिपद, सज्जन।
- 4- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिपद।
- 5- समस्त अधिष्ठाती अभियन्ता/परियोजना/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ० प्र० राज्य विद्युत परिपद।
- 6- मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी [वैतन एवं सेवा] उ० प्र० रा० वि० प० शक्ति भवन, सज्जन।
- 7- परिपद मुख्यालय स्थित समस्त अधिकारीगण/अनुभाग/निजी सचिव/नैपथितक सहायक।

8— बैंक पत्रावली, प्रस्ताव संख्या एक (2)/1985

9— पुलिस महानिरीक्षक (धनकता) उ०प्र०रा०वि०प० शक्ति भवन, सखनऊ।

10— पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) हार्दिक सेल 12, बेनी प्रसाद रोड, लालबाग, सखनऊ।

सहायक सचिव

सचिव

भाषा से

रामेश्वर प्रसाद भार्गव

उप सचिव।